



कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

जिला पशुपालन कार्यालय, गढ़वा

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25

आवेदन का प्रारूप

स्व-अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

योजना का नाम:- बकरा विकास योजना (4+1)/सूकर विकास योजना (4+1) (शेड सहित)/बैकयार्ड लेयर कुक्कुट (400 चूजा) (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन (शेड सहित)/ब्रायलर कुक्कुट पालन (500 चूजा) (शेड सहित)/बत्तख चूजा वितरण योजना (15 चूजा)।

आवेदन संग्रह का माध्यम - पंचायत स्तरीय समिति/ग्राम सभा

योजना की पात्रता-75% एवं 90% अनुदान की राशि.....

- आवेदक का नाम -
- पिता/पति का नाम -
(क) ग्राम (ख) पंचायत (ग) प्रखण्ड.....
(घ) जिला (ङ) राज्य:-झारखण्ड (च) पिन कोड-.....
- APL/BPL सं० (यदि है)
- असहाय विधवा औरतों/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो(प्रमाण पत्र संलग्न)
- आधार नं० (छायाप्रति संलग्न करें)
- मोबाईल नं०.....
- योजना का संचालन **Escrow Account/Dedicated Account** के माध्यम से किया जायेगा
- जाति (ST,SC,OBC,GEN)-हाँ/नहीं..... (प्रमाण पत्र/ग्राम प्रधान द्वारा अनुशंसित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- स्थानीय निवासी (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- शैक्षणिक योग्यता एवं योजना से संबंधित प्रशिक्षण
.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- जमीन की स्व० अभिप्रमाणित ब्यौरा
- पानी की उपलब्धता
- बिजली की उपलब्धता
- विगत पाँच वर्षों में सरकारी योजना का क्या लाभ मिला है :- हाँ/नहीं
- ग्राम सभा की अनुशंसा हाँ/नहीं,(अनुशंसा का क्रम संख्या -(छायाप्रति संलग्न)

घोषणा :- उपरोक्त विवरणी सही है। जाँचोपरान्त गलत पाये जाने पर मेरा दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

नोट :- राज्यादेश के आदेशानुसार प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा के पश्चात् लाभार्थियों को अपना अंशदान **Escrow/Dedicated** खाता में जमा करने के बाद ही अनुदान की राशि **DBT** के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाएगा।

प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारीका
हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया का हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत

आवेदक का हस्ताक्षर
एवं तिथि



श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड सरकार (पशुपालन प्रभाग)



श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
माननीय मंत्री
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
झारखण्ड

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत 2024-25 के लिए आवंटित लक्ष्य

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना की लागत (राशि रुपये में)	अनुदान प्रतिशत	अनुदान की राशि (राशि रुपये में)	लाभुक वर्ग
1.	मॉडल बकरा बकरी इकाई (4+1)	24,800/-	90% अधिकतम	22,320/-	अनु०ज०जा०/अनु०जा०/असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो)
2.	सूकर विकास योजना (4+1)	57,800/-	75% अधिकतम	18,600/-	अन्य सभी वर्ग के लाभुको को
3.	वैक्यार्ड लेयर (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना	1,18,200/-	90% अधिकतम	52,020/-	अनु०ज०जा०/अनु०जा०/असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो)
4.	ब्रायलर कुक्कुट पालन (500 ब्रायलर कुक्कुट) की योजना	67,500/-	75% अधिकतम	43,350/-	अन्य सभी वर्ग के लाभुको को
5.	वत्तख चूजा वितरण की योजना (अण्डा उत्पादन हेतु)	1,700/-	90% अधिकतम	1,06,380/-	अनु०ज०जा०/अनु०जा०/असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो)
			75% अधिकतम	88,650/-	अन्य सभी वर्ग के लाभुको को
			90% अधिकतम	60,750/-	अनु०ज०जा०/अनु०जा०/असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो)
			75% अधिकतम	50,625/-	अन्य सभी वर्ग के लाभुको को
			90% अधिकतम	1,530/-	प्रति लाभुक 15 बत्तख चूजा वितरण, अनु०ज०जा०/ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो)
			75% अधिकतम	1,275/-	अन्य सभी वर्ग के लाभुको को

विशेष जानकारी हेतु अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करें

आवेदन पत्र प्रखण्ड पशुपालन कार्यालय में उपलब्ध है।

शेड का निर्माण मनरेगा अभियान द्वारा किया जायेगा।

निवेदक - जिला पशुपालन पदाधिकारी, गढ़वा

